

अहकाम
(नियम-26)
अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण
बाबू जहीरुद्दीन

बनाम

अप्रार्थीगण

रामनिवास वगैरह
मुकदमा नं.-

08/15

किस्म प्रकरण : रा.प्रा.पत्र

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिविलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
05.01.15	<p>प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.02.2015 को पेश हो।</p> <p align="right">4</p>	

अभिकार/प्रतिकारान के अधिवक्ता

25/2/15

गौठायन प्रार्थनापत्री के विरुद्ध प्रार्थना/अभियोग

प्रवकाश पत्र संख्या 24/4/15 प्रकरण

उनके समक्ष दिनांक 25/2/15

पत्रावली करके (31) 24/4/15

अभिकार/प्रतिकारान के अधिवक्ता

24/4/15

गौठायन प्रार्थनापत्री के विरुद्ध प्रार्थना/अभियोग

प्रवकाश पत्र संख्या 2/6/15 प्रकरण

उनके समक्ष दिनांक 2/6/15

पत्रावली करके (31)

अभिकार/प्रतिकारान के अधिवक्ता

2/6/15

गौठायन प्रार्थनापत्री के विरुद्ध प्रार्थना/अभियोग

प्रवकाश पत्र संख्या 15/9/15 प्रकरण

उनके समक्ष दिनांक 15/9/15

पत्रावली करके (31)

15/9/15: वकील प्रार्थी डॉ। अप्रार्थी लण
की भौट से वकील श्रीमद्वर ने मूल
वाद के नकालनामा पेश बिपण
जवाब हेतु जल्प चाहते हे अप्रार्थी
रु.2 की तलबी के इतनाए ने
पत्रावली दिनांक 18/11/15 का पेश है

4

FORM NO. 3
फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)
(नियम 28)

की किस्म.....बनाम.....
 की संख्या.....
 वर्ष.....

ख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
25/11/17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 12.5.17.....को प्रस्तुत करें। डल	
16.10.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 16-2-18 को प्रस्तुत करें। डल	
16/2/18	वकील जर्जी उपर वकील जर्जी को दिहागत - -डी जर्डी की आवाजी तारीख पेशी पर नोटिस कावर्ड अक रूप से पेश करे तलबी के लिफे अनितर अवसर दिनांक 26-2-18 को पेश हो 26-2-18 एवावली पेश डरी अपाफेकि की तामिस डेड नोरिस तलबाना पेश करने के लिफे वकील जर्जी वकालत प्रीगिष को काट-2 आवाजे लगाई गर परन्तु कावर्ड की उपदिगत नही डरी	

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

तलकी के लिए वकील जाफरी व
जाफरी का तीन वर्ष का समय
दिया जा चुका है परन्तु इतना
समय देने के उपरान्त भी नोटिस
तलखाना पेश नहीं किया है इसलिए
जाफरी का जाफरी पर अदम
हामी व अदम येरवी से शवाहीज
किया जात है प्रभावली नम्बर से
कम लेकर फलान हा/वेस के

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागा